न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 13/208

1. धन्ना पुत्र माधो जाति माली निवासी नीमोदा हरिजी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. छीतर पुत्र माधो जाति माली निवासी नीमोदा हरिजी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. छीतर पुत्र गोरधन जाति निवासी कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. भंवरी बाई पत्नी बाबू कीर निवासी नीमोदा हरिजी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. रामलाल पुत्र बाबू जाति कीर निवासी नीमोदा हरिजी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. सुखवीर पुत्र बाबू जाति कीर निवासी नीमोदा हरिजी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. कैलाश बाई बेवा आशाराम पुत्री बाबू जाति कीर निवासी नीमोदा हरिजी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
5. जितेन्द्र कुमार पुत्र आशाराम पुत्री बाबू जाति कीर निवासी निमोदा हरिजी तहसील दीगोद जिला कोटा नाबालिग जरिये वली माता कैलाश बाई ।
6. रवी कुमार पुत्र आशाराम पुत्री बाबू जाति कीर निवासी नीमोदा हरिजी तहसील दीगोद जिला कोटा नाबालिग जरिये वली माता कैलाश बाई ।
7. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाष रेस्पोडेन्टगण की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 10.08.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.03.2013 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नीमोदा हरिजी तहसील दीगोद में पुराने खसरा नम्बर 440 की 16 बीघा 04 बिस्वा व अन्य आराजी प्रतिवादी कम 1 से 2 के पिता श्री माधो जी आत्मज श्री भीमा व गोरधन जी की संयुक्त खातेदारी में स्थित थी । वर्तमान बन्दोबस्त विभाग ने गत खसरा नम्बर 440 के नये खसरा नम्बर 339 की 1.33 हैक्टर व खसरा नम्बर 629 की 1.17 हैक्टर कुल 2.50 हैक्टर

कायम किये । गत खसरा नम्बर 440 की आराजी को श्री माधो आत्मज भीमा ने दिनांक 04.03.1973 को वादी कम 1 के पति वादी कम 2 व 3 के पिता एवं वादी कम 4 के ससुर श्री बाबूलाल जी कीर को विकय कर, विकय की गई भूमि पर मालिकाना कब्जा श्री बाबूलाल जी को संभला दिया । माधो जी के स्वर्गवास के पश्चात् माधो जी के वारिस प्रतिवादी कम 1 व 2 ने बाबू लाल जी के पक्ष में किया गया विकय स्वीकार करते हुए तथा पूरी प्रतिफल राशि पूर्व में प्राप्त करना स्वीकार किया । प्रतिवादी धन्ना लाल व छीतर लाल की सहमति से बन्दोबस्त विभाग द्वारा दिनांक 30.04.1981 को वादग्रस्त आराजी बाबूलाल जी के खातेदारी में दर्ज की गई तथा बाबूलाल ही इस आराजी पर बतौर खातेदार कृषक काबिज थे । गोपाल, धन्ना, छीतर ने बन्दोबस्त विभाग द्वारा वादग्रस्त आराजी बाबूलाल की खातेदारी में दर्ज करने के बाद दिनांक 01 जून, 1993 को बाबू लाल जी द्वारा अतिकमण करना मानते हुए घोषणा व बेदखली का वाद बाबूलाल के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिसे न्यायालय परगना अधिकारी दीगोद के द्वारा दिनांक 24.09.2003 को अदम पैरवी एंव अदम हाजरी में खारिज कर दिया । तहसीलदार दीगोद ने अवैध रूप्से उक्त भूमि वापिस गोरधन आत्मज भीमा 1/2, गोपाल, छीतर पिसरान माधो के नाम दर्ज कर दी जबकि तहसीलदार दीगोद को इस प्रकार का इन्द्राज दर्ज करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था ।

3. अतः वाद वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिकी किया जाकर वादीगण को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 339 रकबा 1.33 हैक्टर, खसरा नम्बर 629 की रकबा 1.17 हैक्टर भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जावे ।

4. प्रतिवादी कम 1 व 2 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादी द्वारा वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज करने का निवेदन करते हुए प्रतिवादीगण कम 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर अपना निष्कर्ष पारित करते हुए अपने निर्णय एवं डिकी दिनांक 04.03.2013 के द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किये जाने का आदेश पारित किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 04.03.2013 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्टगण के दादा स्वर्गीय भीमा जी के खातेदारी में दर्ज थी उनकी मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि उनके पुत्रों माधो व गोरधन के नाम खातेदारी में दर्ज हुई तथा इन दोनों की मृत्यु के बाद उक्त भूमि अपीलान्टगण के नाम खातेदारी में दर्ज की गई । अपीलान्ट व उनके पिता व दादा ने उक्त भूमि का कभी भी किसी को बेचान नहीं किया, रेस्पोडेन्ट का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । उक्त भूमि कभी भी रेस्पोडेन्ट के पिता व दादा बाबूलाल के खातेदारी में दर्ज नहीं रही है । वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी घोषणा का पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है । वादीगण रेस्पोडेन्ट विवादित तहरीर स्टाम्प पर दिनांक 04.03.1973 को आलेखित करना बताया है जो स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि 100/–रूपये से अधिक का बेचान कानूनन रजिस्टर्ड होना आवश्यक है । इस प्रकार उक्त दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिकी पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.03.2013 निरस्त फरमाया जावे एवं प्रतिवादीगण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जावे ।

7. उक्त अपील दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया है ।

9. हमने प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का अवलोकन किया एंव प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में एसीएम दीगोद में पूर्व में पेश किया गया वाद एवं आदेश की प्रमाणित प्रतियॉ पेश की हैं जिनकी विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता । उक्त दस्तावेजात इस प्रकरण से प्रासंगिक हैं । अतः प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिया जाता है ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर दावा डिक्री किया है जबकि कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । रेस्पोडेन्ट वादीगण द्वारा एक तहरीर के आधार पर आराजी को क्रय करना बताया है परन्तु यह तहरीर न तो पूर्ण मुद्रांकित है और न ही पंजीकृत है । अचल सम्पत्ति जिसकी कीमत 100/– रूपये से अधिक है उसका अन्तरण बिना पंजीकृत दस्तावेज के नहीं किया जा सकता। वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक अपीलान्ट हैं रेस्पोडेन्ट का कोई अधिकार वादग्रस्त आराजी के बाबत् नहीं है । सेटलमेंट विभाग को किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान करने का अधिकार नहीं है । रेस्पोडेन्ट वादी के खाते में वादग्रस्त आराजी सेटलमेंट विभाग ने दर्ज की है जो विधि – विरूद्ध है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 04.03.2013 निरस्त फरमाया जावे उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2001 (1) पेज 244, 2008 (1) आरआरटी पेज 151, आर.आर.टी. 2012 पेज 868, आर.आर.टी. 2016 (2) पेज 791, आर.आर.डी. 2011 पेज 508, आर.आर.टी. 2018 (1) (एससी) पेज 610 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये और अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी सहमति के आधार पर सेटलमेंट विभाग ने रेस्पोडेन्ट वादी के नाम दर्ज की थी । अपीलान्टगण द्वारा एक वाद हक घोषणा का पेश किया था । इस दावे के लम्बित रहने के दौरान तहसीलदार ने वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के खाते में दर्ज कर दी । तहसीलदार को आराजी अपीलान्ट के खाते में दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था । अपीलान्टगण का वाद वर्ष 2003 में अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो चुका है । जब अपीलान्टगण का वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया था तो सीपीसी के आदेश 09 नियम 09 के तहत नया दावा नही ला सकते हैं तद्नुसार अपीलान्टगण का काउन्टर क्लेम मेन्टेनेबल नहीं था । वादी

रेस्पोडेन्ट के खाते जो आराजी दर्ज की गई है उसके विरूद्ध कोई वाद लाने का अपीलान्टगण को अब कोई विधिक अधिकार नहीं रह गया है । इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.03.2013 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में 2007 (3) डीएनजे (राज0) पेज 1657, 2017 (1) डीएनजे (राज0) पेज 285, 2016 एआईआर (राज0) पेज 89, 2015 (2) आरआरटी पेज 1376, 2017 (3) सीसीसी (एससी) पेज 509 (एससी) के न्यायिक दृष्टांत पेश किये और अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न फोटो प्रति तहरीर प्रदर्श– 1–ए, भू–प्रबन्ध विभाग का खसरा परिशोधन प्रदर्श– 2, नकल भू–प्रबन्ध विभाग पर्चा नोटिस प्रदर्श– 3 पेश की है । नकल जमाबन्दी सवंत् 2047 से 2050 प्रदर्श–4 के अनुसार वादग्रस्त आराजी बाबू लाल पुत्र मथुरा लाल के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2055 से 2058 प्रदर्श– 5 पेश की है जिसमें खाता संख्या 171 पुराना नया 88 की वादग्रस्त आराजी गोरधन पुत्र भीमा हिस्सा 1/2, गोपाल, धन्ना, छीतर पुत्रान माधो हिस्सा 1/2 के नाम खातेदारी में दर्ज है । नकल आदेशिका उपखण्ड अधिकारी दीगोद दिनांक 24.09.2003 प्रदर्श–6, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श– 7 पेश की है, प्रदर्श– 8 धन्ना, छीतर के द्वारा पेश किये गये दावे की प्रमाणित प्रति पेश की है, प्रदर्श– 9 इसी दावे में पेश किये गये जवाबदावे एवं काउन्टर क्लेम की प्रति पेश की है । इसके अलावा बयान वादी रामलाल पी.डब्ल्यू.–1, प्रमोद चौधरी पी.डब्ल्यू. –2, छोटूलाल पी.डब्ल्यू. 3, मुकेश पी.डब्लयू. – 4 एवं बिरधी लाल पी.डब्ल्यू. 5 कराये गये हैं ।

13. प्रतिवादी की ओर से बयान धन्ना लाल डी.डब्ल्यू.–1, दाखा बाई डी.डब्ल्यू. – 2 कराये हैं।

14. एक शपथ पत्र प्रतिवादी की ओर से सुखवीर पुत्र गोगा का भी पेश किया गया है परन्तु उसने न्यायालय में उपस्थित होकर शपथ पत्र की ताईद नहीं की है ।

15. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में दावा एंव जवाबदावा के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम थी जिस पर हम विस्तृत विवेचन किया जाना उचित समझते हैं :–

    1. तनकी नं0 1 :– **आया विवादग्रस्त आराजी माधो पुत्र भीमा जी ने दिनांक 04.07.1973 को वादीगण के पिता व पति बाबूलाल को विक्रय कर कब्जा संभला दिया था** :– इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था । वादीगण ने अपने पक्ष के समर्थन में एक तहरीर प्रदर्श 1–ए पत्रावली में पेश की है, यह तहरीर न तो पूर्ण मुद्रांकित है और ही पंजीकृत है इसलिए इस तहरीर को विधिक रूप से विक्रय पत्र नहीं माना जा सकता । जहॉ तक कब्जे का प्रश्न है इस तहरीर में वादग्रस्त आराजी का कब्जा बाबूलाल को संभलाया जाना अंकित किया है । इसके अलावा पत्रावली पर प्रतिवादीगण द्वारा एसीएम दीगोद में एक दावा बाबूलाल के खिलाफ अन्तर्गत धारा 183 एवं 88 का प्रस्तुत किया था यह दावा वर्ष 1994 में पेश किया गया था जिसमें वादग्रस्त आराजी पर वादीगण द्वारा सन् 1993 में कब्जा किया जाना अंकित किया है । इनके जवाबदावे एवं काउन्टर क्लेम में वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पर सन् 1973 से लगातार अपना कब्जा बताया है । प्रतिवादी अपीलान्टगण द्वारा पूर्व में जो दावा पेश किया गया था वह अन्तर्गत धारा 183 एवं 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया था जिसकी नकल प्रदर्श– 8 संलग्न है । उक्त वाद में कथन किया है कि वादीगण ने वर्ष 1993 में वादग्रस्त आराजी पर कब्जा कर लिया है । पत्रावली में संलग्न नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श– 7 के

अनुसार वादग्रस्त आरजी का संवत् 2031 एवं 32 में टिप्पणी बाबत् कब्जे में बाबूलाल पुत्र मथुरा को 1500/– रूपये में बेचान किया था अंकित है । संवत् 2033 से भी उनका कब्जा बदस्तूर बताया गया है तद्नुसार वर्ष 1974 में वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा दर्ज है । अपीलान्टगण ने इन दस्तावेजात के रिवटल में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित हो कि इसके उपरान्त वादग्रस्त आराजी पर उनका कब्जा रहा हो और वादीगण ने सन् 1993 में उस पर कब्जा पुनः कर लिया हो । इस प्रकार यह तनकी आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में वर्ष 1973 से वादग्रस्त आराजी पर कब्जे के बावत् सिद्ध पाई जाती है । प्रकरण में पेश दस्तावेज जो कि अपंजीकृत है उसके आधार पर वादग्रस्त आराजी का बेचान नहीं माना जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय में विधि सम्मत रूप से इस तनकी को आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में तय किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त तनकी के निष्कर्ष से सहमत हैं ।

2. तनकी नं0 2 :– **आया माधो के स्वर्गवास के बाद प्रतिवादीगण कम 1 व 2 ने भी विकय पत्र को स्वीकार करते हुए बन्दोबस्त विभाग को दिनांक 30.04.1981 को बाबूलाल के खाते में दर्ज करने की स्वीकृति दी थी** :– प्रदर्श– 2 भू–प्रबन्ध विभाग का खसरा परिशोधन पत्रावली में संलग्न है जिसमें यह अंकित है कि खातेदार माधोलाल ने अपने खाते की आराजी बाबूलाल बल्द मथुरा को 1500/– रूपये में बेचान करना स्वीकार किया है और विकय के समय से ही केता का कब्जा स्वीकार किया है और उनकी स्वीकृति के आधार पर आराजी बाबूलाल वल्द मथुरा जाति कीर के नाम दर्ज करने की स्वीकृति दी गई है । इस प्रकार इस दस्तावेज से यह प्रमाणित होता है कि माधो के दोनों पुत्रों ने तत्समय इस विकय पर कोई आपत्ति नहीं की है यद्यपि यह विकय पूर्ण मुद्रांकित एंव पंजीकृत नहीं है परन्तु इस दस्तावेज से वर्ष 1973 से वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा प्रमाणित होता है। अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने दौराने बहस यह निवेदन किया है कि सेटलमेंट विभाग को इस प्रकार का इंद्राज करने का कोई अधिकार नहीं है । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2008 (1) पेज 151, आरआरटी 2001 (1) पेज 244 उद्धरत की है। हम अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता द्वारा उद्धरत की गई नजीरों से सहमत हैं कि सेटलमेंट विभाग को इस प्रकार का इन्द्राज करने का कोई अधिकार नहीं था । अपीलान्ट के द्वारा उद्धरत नजीर आरआरटी 2018 (1) (एससी) पेज 610 से भी सहमत हैं कि अपंजीकृत विकय के आधार पर वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते परन्तु सेटलमेंट विभाग के द्वारा यह जो इन्द्राज किया गया है इसके विरूद्ध अपीलान्ट प्रतिवादी ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा वर्ष 1993 में पेश किया था उनका यह दावा दिनांक 24.09.2003 को प्रदर्श– 6 के अनुसार अदम हाजरी एवं अदम पैवरी में खारिज हो चुका है उनके द्वारा इस दावे को रेस्टोर कराने के बाबत् कोई कार्यवाही की गई हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उन्होंने पेश नहीं किया है, अब उन्हीं तथ्यों के आधार पर काउन्टर क्लेम के रूप में व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 09 नियम 09 के प्रावधानों के अनुसार नया वाद लाने से एस्टोप्ड हैं । इसी कम में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता द्वारा उद्धरत नजीर 2017 (3) सीसीसी (एससी) पेज 509 चस्पा होती है । तद्नुसार यह तनकी आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में तय की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी को पूर्ण रूप से वादीगण के पक्ष में तय करने में त्रुटि की है । यह सही है कि प्रतिवादीगण द्वारा बन्दोबस्त विभाग के समक्ष विकय पत्र को स्वीकार करते हुए बाबूलाल के खाते में वादग्रस्त आराजी को दर्ज करने की स्वीकृति दी थी । बन्दोबस्त विभाग के द्वारा की गई कार्यवाही और इसके उपरान्त अपीलान्टगण के दावे के बाबत्

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह तनकी आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में तय पाई जाती है ।

3. तनकी नं0 3 :– **आया प्रतिवादी ने विवादित भूमि से बेदखल करने हेतु दिनांक 01.06.1993 को वादीगण के विरूद्ध वाद किया था, जो दिनांक 24.09.2003 को निरस्त हो गया, इसका वाद पर क्या असर है** :– यह तनकी इस प्रकरण में विधिक है । इस तनकी का आंशिक रूप से तनकी नम्बर 2 में भी विश्लेषण किया जा चुका है । जैसा कि तनकी नम्बर 01 व 2 में विस्तृत विश्लेषण किया जा चुका है कि वादीगण द्वारा पेश किये गये निर्णय दिनांक 24.09.2003 प्रदर्श–6 के अनुसार प्रतिवादीण का दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया था। प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने इस दावे को रेस्टोर कराने के बाबत् कार्यवाही की हो ऐसा कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश नहीं किया है और सीपीसी के आदेश 09 नियम 09 के अनुसार अपीलान्ट प्रतिवादी उन्हीं तथ्यों के आधार पर नया वाद नहीं ला सकते हैं तद्नुसार अपीलान्ट प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम मेन्टेनेबल नहीं है । ऐसी स्थिति में सेटलमेंट विभाग द्वारा किये गये इन्द्राज के विरूद्ध वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश किये दावे में प्रतिवादीगण अपीलान्ट काउन्टर क्लेम के माध्यम से कोई आपत्ति करने से एस्टोप्ड हैं। इसी क्रम में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता द्वारा उद्धरत नजीर 2017 (3) सीसीसी (एससी) पेज 509 चस्पा होती है ।

4. तनकी नं0 4 :– **आया विवादित आराजी पर दिनांक 04.07.1973 से बाबूलाल तथा बाबूलाल के बाद वादीगण होस्टाईल टाईटल व होस्टाईल पजेशन के आधार पर प्रतिवादीगण की जानकारी में शान्तिपूर्वक काबिज काश्त हैं तथा कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादीगण इस आराजी के कानूनन खातेदार कृषक हैं** :– इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था । यद्यपि पत्रावली में जो दस्तावेजात एवं साक्ष्य पेश किये गये हैं उनके अनुसार वादग्रस्त आराजी वर्ष 1973 में बाबूलाल एवं बाबूलाल के बाद वादीगण का कब्जा प्रमाणित होता है परन्तु प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये ज़ा सकते । इसी क्रम में अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक द्वारा नजीर आर.आर.टी. 2012 पेज 868, आर.आर.टी. 2016 (2) पेज 791, आर. आर.डी. 2011 पेज 508 चस्पा होती हैं । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने यह तनकी पूर्ण रूप से वादीगण के पक्ष में तय करने में त्रुटि की है ।

5. तनकी नं0 5 :– **आया विवादग्रस्त आराजी न तो वादीगण को विक्रय की गई न ही प्रतिफल प्राप्त किया गया और न ही कब्जा सुपुर्द किया गया** :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था परन्तु पत्रावली पर जो दस्तावेज विक्रय तहरीर प्रदर्श–1–ए, भू–प्रबन्ध विभाग का खसरा परिशोधन पत्र प्रदर्श– 2 संलग्न है । उक्त दस्तावेजात से यह प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त आराजी अपंजीकृत तहरीर के आधार पर वादीगण को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया गया है एवं प्रतिफल राशि 1500/– रूपये भी प्राप्त किये हैं । यद्यपि यह विक्रय अपंजीकृत होने के कारण इस विक्रय पत्र को विधिक रूप से सही नहीं माना जा सकता परन्तु उक्त दस्तावेज के आधार पर कब्जा वादीगण को सुपुर्द किया जाना प्रमाणित होता है । इस प्रकार यह तनकी आंशिक रूप से प्रतिवादीगण के पक्ष में तय पाई जाती है ।

6. तनकी नं0 06 :– **आया वादीगण का विवादित भूमि पर सन् 1973 से कब्जा नहीं है और न ही एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं** :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था । पत्रावली में जो दस्तावेज साक्ष्य में पेश किये

गये हैं उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी पर वर्ष 1973 से वादीगण का कब्जा है । भू–प्रबन्ध विभाग खसरा परिशोधन प्रदर्श– 2, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श– 7 वर्ष 1973 से वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जे को प्रमाणित करता है । यह सही है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में आंशिक रूप से तय की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी को पूर्ण रूप से प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय करने में त्रुटि की है ।

7. तनकी नं0 7 :– **आया राजस्थान सरकार के दो माह पूर्व धारा 80 जा0 दी0 का नोटिस नहीं दिया है । इसलिए वाद चलने योग्य नहीं है** :– इस प्रकरण में राज्य सरकार फोरमल पक्षकार है । हितबद्ध पक्षकार प्रतिवादीगण 1, 2 व 3 है। इस प्रकार प्रस्तुत वाद में 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना अनिवार्य नहीं है । इस प्राकर यह तनकी प्रतिवादीगण के खिलाफ तय पायी जाती है ।

8. तनकी नं0 08 :– **अनुतोष** :– तनकी नम्बर 1 व 2 आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में तय पाई गई है । तनकी नम्बर 03 विधिक है जो कि इस प्रकरण में महत्वपूर्ण तनकी है । वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा यह वाद वास्ते हक घोषणा का पेश किया गया है उनके द्वारा मुख्य रूप से दावे में दो कथन किये गये हैं एक तो तहरीर के आधार पर वर्ष 1973 से वादग्रस्त आराजी को क्रय करने पर उनके द्वारा काबिज रहना और दूसरा सबसे महत्वूपर्ण बिन्दु यह है कि प्रतिवादीगण अपीलान्ट के द्वारा वर्ष 1993 में वादीगण रेस्पोडेन्ट के खिलाफ हक घोषणा एवं बेदखली का दावा पेश किया था, यह दावा वर्ष 2003 में अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में निरस्त हो गया था और दौराने दावा ही तहसीलदार, दीगोद के द्वारा अवैध रूप से वादग्रस्त आराजी गोरधन आत्मज भीमा हिस्सा 1/2, गोपाल, धन्ना, छीतर पिसरान माधो हिस्सा 1/2 दर्ज कर दिया गया । जबकि दावा बाबत् हक घोषणा लम्बित था । तहसीलदार को इस प्रकार का इन्द्राज करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था । इस क्रम में पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 4 एवं 5 का अवलोकन किया गया । प्रदर्श– 4 नकल जमाबन्दी संवत् 2047 से 2050 में वादग्रस्त आराजी बाबूलाल पुत्र मथुरा लाल के खाते में दर्ज थी । प्रदर्श–5 नकल जमाबन्दी संवत् 2055 से 2058 में वादग्रस्त आराजी गोरधन पुत्र भीमा हिस्सा 1/2, गोपाल, धन्ना, छीतर पिसरान माधो 1/2 हिस्सा दर्ज है । इस प्रकार नकल जमाबन्दी 4 एवं 5 से यह प्रमाणित है कि दौराने दावा वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता के स्थान पर प्रतिवादीगण अपीलान्ट के खाते में दर्ज की गई है । यह इन्द्राज किस सक्षम अधिकारी के आदेश से किया गया है, यह प्रतिवादीगण सिद्ध नहीं कर पाये हैं । उनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि यह इन्द्राज किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से किया गया है । तहसीलदार को बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज को बदलने का कोई अधिकार नहीं है । रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता द्वारा उद्धरत नजीर 2007 (3) डीएनजे (राज0) पेज 1657, 2017 (1) डीएनजे (राज0) पेज 285 चस्पा होते हैं । दौराने दावा वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण अपीलान्ट का नाम दर्ज किया गया है वह विधि – विरूद्ध है एवं खारिज होने योग्य है । जहॉ तक सेटलमेंट विभाग के द्वारा वादग्रस्त आराजी को वादीगण के खाते में दर्ज करने का प्रश्न है इस इन्द्राज के विरूद्ध अपीलान्ट प्रतिवादीगण को सक्षम न्यायालय में आपत्ति करने का अधिकार था और उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वर्ष 1993 में दावा भी पेश किया गया था परन्तु उनका दावा दिनांक 24.09.2003 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया था । ऐसी स्थिति में व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 09 नियम 09 के तहत नया दावा पेश करने एवं काउन्टर क्लेम पेश करने से एस्टोप्ड हैं । ऐसी स्थिति में वादग्रस्त

आराजी जो तहसीलदार द्वारा बिना सक्षम आदेश के द्वारा अपीलान्ट प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज की गई है वह विधि – विरूद्ध एवं काबेज दुरूस्ती है । तनकी नम्बर 03 में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है जिसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण अपीलान्ट के नाम जो इन्द्राज किया गया है वह विधि–विरूद्ध होने के कारण खारिज होने योग्य है तद्नुसार वादीगण इससे पूर्व के राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति के अनुसार वादग्रस्त आराजी के खातेदार दर्ज होने के अधिकारी हैं तद्नुसार दावा वादी डिक्री होने योग्य है । प्रतिवादी अपीलान्ट का काउन्टर क्लेम खारिज होने योग्य है । तनकी नम्बर 04 वादीगण के खिलाफ तय पाई जाती है । तनकी नम्बर 05 और 6 आंशिक रूप से प्रतिवादीगण के पक्ष में तय पाई जाती हैं । तनकी नम्बर 07 प्रतिवादी के खिलाफ पायी जाती है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजी पर वर्ष 1973 से ही कब्जा नहीं है । उनकी कब्जा लेने की मियाद भी समाप्त हो चुकी है । ऐसी स्थिति में बिना कब्जे के हक घोषणा की डिक्री नहीं की जा सकती । अधीनस्थ न्यायालय ने यद्यपि प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज किया है और वादीगण का वाद डिक्री किया है परन्तु तनकीयात में से कुछ तनकीयात का विश्लेषण विधि सम्मत रूप से नहीं किया गया है । इस कारण इस अपील में समस्त तनकीयात का पुनः विस्तृत विवेचन किया गया है ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.03.2013 बहाल रखा जाता है ।

17. निर्णय आज दिनांक 10.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10/8/18

(भगवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 13/208

1. धन्ना पुत्र माधो जाति माली निवासी नीमोदा हरिजी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. छीतर पुत्र माधो जाति माली निवासी नीमोदा हरिजी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. छीतर पुत्र गोरधन जाति निवासी कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. भंवरी बाई पत्नी बाबू कीर निवासी नीमोदा हरिजी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. रामलाल पुत्र बाबू जाति कीर निवासी नीमोदा हरिजी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. सुखवीर पुत्र बाबू जाति कीर निवासी नीमोदा हरिजी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. कैलाश बाई बेवा आशाराम पुत्री बाबू जाति कीर निवासी नीमोदा हरिजी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
5. जितेन्द्र कुमार पुत्र आशाराम पुत्री बाबू जाति कीर निवासी निमोदा हरिजी तहसील दीगोद जिला कोटा नाबालिग जरिये वली माता कैलाश बाई ।
6. रवी कुमार पुत्र आशाराम पुत्री बाबू जाति कीर निवासी नीमोदा हरिजी तहसील दीगोद जिला कोटा नाबालिग जरिये वली माता कैलाश बाई ।
7. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.03.2013 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा ।

वाद संख्याः 159/दावा/2004

1. भंवरी बाई पत्नी बाबू कीर निवासी नीमोदा हरिजी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. रामलाल पुत्र बाबू जाति कीर निवासी नीमोदा हरिजी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. सुखवीर पुत्र बाबू जाति कीर निवासी नीमोदा हरिजी तहसील दीगोद जिला कोटा ।

4. कैलाश बाई बेवा आशाराम पुत्री बाबू जाति कीर निवासी नीमोदा हरिजी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
5. जितेन्द्र कुमार पुत्र आशाराम पुत्री बाबू जाति कीर निवासी निमोदा हरिजी तहसील दीगोद जिला कोटा नाबालिग जरिये वली माता कैलाश बाई ।
6. रवी कुमार पुत्र आशाराम पुत्री बाबू जाति कीर निवासी नीमोदा हरिजी तहसील दीगोद जिला कोटा नाबालिग जरिये वली माता कैलाश बाई ।

——वादी

बनाम

1. धन्ना पि0 माधो जाति माली निवासी नीमोदा हरिजी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. छीतर पुत्र माधो जाति माली निवासी नीमोदा हरिजी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. छीतर पुत्र गोरधन जाति निवासी कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. राजस्थान सरकारक जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.03.2013 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 10.08.2018 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र गुप्ता एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री जगदीश नन्दवाना के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.03.2013 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 10.08.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

10.8.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा